



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

**PART III—Section 4**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 33]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2018/माघ 3, 1939

No. 33]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2018/MAGHA 3, 1939

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

सं. भा.आ.प.—34(41)/2017—मेड./169890.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् “प्रति वर्ष 150 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को पुनः संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को “प्रति वर्ष 150 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2017” कहा जाएगा।  
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “प्रति वर्ष 150 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित परिवर्धन/आशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:—
3. “प्रति वर्ष 150 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” के प्रथम पृष्ठ पर पॉइंट संख्या 3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—  
“प्रति वर्ष एमबीबीएस में 150 दाखिलों के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और आयुर्विज्ञान संस्थान के पास निम्नलिखित विभाग होंगे, नामतः—  
(1) मानव शरीर—विज्ञान  
(2) मानव शरीर—क्रियाविज्ञान  
(3) जीव रसायन  
(4) रोग—विज्ञान (रक्त बैंक सहित)  
(5) सूक्ष्मजीव—विज्ञान  
(6) भेषज—विज्ञान  
(7) फोरेंसिक मेडिसिन (विष—विज्ञान सहित)  
(8) कम्युनिटी मेडिसिन

- (9) मेडिसिन  
 (10) बालरोग—विज्ञान  
 (11) मनश्चिकित्सा  
 (12) त्वचा—विज्ञान, रतिज रोग—विज्ञान एवं कुछ रोग  
 (13) तपेदिक एवं श्वसनी रोग  
 (14) शल्य—चिकित्सा  
 (15) विकलांग—विज्ञान  
 (16) विकिरण—विज्ञान  
 (17) विकिरण चिकित्सा (वैकल्पिक)  
 (18) कान नाक गला रोग—विज्ञान  
 (19) नेत्र—विज्ञान  
 (20) प्रसूति एवं स्त्री रोग—विज्ञान  
 (21) संचेतनाहरण—विज्ञान  
 (22) भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास (वैकल्पिक)  
 (23) दंत चिकित्सा—विज्ञान”

4. “ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र” शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.21 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में दूसरे बैच (प्रथम नवीकरण) से इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज के स्वामित्व वाला होना चाहिए या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे संबद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटर्नों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। यह स्वास्थ्य केंद्र 30 कि.मी. की दूरी के अंदर होगा, सिवाय यथा संशोधित ‘मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली 1999’ में विनिर्दिष्ट शहरी समूह के श्रेणी ‘क’ शहरों में, जहाँ यह 50 कि.मी. के अंदर होना चाहिए। भोजनालय की सुविधाओं के साथ छात्रों, छात्राओं और इंटर्नों के लिए अलग आवासीय व्यवस्थाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वार्षिक प्रवेश के 10 प्रतिशत के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।”

5. “प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र / शहरी स्वास्थ्य केंद्र” शीर्षक के अंतर्गत खंड क.2(8)(छ) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में दूसरे बैच (प्रथम नवीकरण) से इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे संबद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटर्नों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। यह स्वास्थ्य केंद्र 30 कि.मी. की दूरी के अंदर होगा, सिवाय यथा संशोधित ‘मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली 1999’ में विनिर्दिष्ट शहरी समूह के श्रेणी ‘क’ शहरों में, जहाँ यह 50 कि.मी. के अंदर होना चाहिए। भोजनालय की सुविधाओं के साथ छात्रों, छात्राओं और इंटर्नों के लिए अलग आवासीय व्यवस्थाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वार्षिक प्रवेश के 10 प्रतिशत के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।”

6. “शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र” शीर्षक के अंतर्गत खंड क.2(8)(झ) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में दूसरे बैच (प्रथम नवीकरण) से इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे संबद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटर्नों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।”

7. खंड ख में, "ख.1 सामान्य अभ्युक्ति" शीर्षक के अंतर्गत अध्यापन अस्पताल, खंड 1.1 का पहला पैरा निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  
 "केंद्र सरकार को आवेदनपत्र के प्रस्तुतीकरण के समय बहिरंग रोगी विभाग, अंतरंग वार्ड, शल्यक्रिया-शाला, सघन चिकित्सा इकाई, आक्रियिकता, प्रसूति गृह, प्रयोगशालाओं, रक्त बैंक, सीएसएसडी, रसोई घर आदि जैसी सभी आवश्यक अवसरंचना के साथ 300 बिस्तरों वाला एक पूर्णतः कार्यात्मक अध्यापन अस्पताल, जिसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत बिस्तर आव्युपेंसी हो, उपलब्ध होगा। इसे बढ़ाकर यथा विनिधारित चरण-वार तरीके से 650 बिस्तरों वाला किया जाएगा। अंतरंग बिस्तर आव्युपेंसी, अनुमति के III नवीकरण के मूल्यांकन के समय और इसके पश्चात तथा मान्यता के मूल्यांकन के समय पर भी बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जाएगी। 300 अध्यापन बिस्तरों में, मेडिसिन और संबद्ध के लिए 120 बिस्तर, शल्यचिकित्सा और संबद्ध के लिए 140 बिस्तर, प्रसूति-स्त्रीरोग विज्ञान विभाग के लिए 40 बिस्तर शामिल होंगे।
8. खंड ख में, "ख.1 सामान्य अभ्युक्ति" शीर्षक के अंतर्गत अध्यापन अस्पताल, खंड ख.1.8 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  
 "अनुमति के तीसरे नवीकरण के समय पर और इसके पश्चात मान्यता के समय तक अंतरंग बिस्तर आव्युपेंसी बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए।"
9. खंड ख.2 में "नैदानिक विभाग" के शीर्षक के अंतर्गत और "अतिरिक्त आवास" के संबंध में ख.2.2 के उप-शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 3 "नैदानिक प्रदर्शन कक्ष (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक)" का विलोप किया जाएगा।
10. खंड ख.2 में, "नैदानिक विभाग" के शीर्षक के अंतर्गत और "शल्यक्रिया-शाला इकाई" के संबंध में खंड ख.2.4 के उप-शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 2 और 4 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  
 "2. शल्यक्रिया-पूर्व बिस्तर - 1 बिस्तर/शल्यक्रिया-शाला इकाई  
 4. शल्यक्रिया पश्चात बिस्तर - 2 बिस्तर/शल्यक्रिया-शाला इकाई"
11. खंड ख.2.8 में, "संचेतनाहर-विज्ञान विभाग" शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 3 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  
 "3. नैदानिक प्रदर्शन कक्ष : एक"
12. खंड ख.3 में "नैदानिक विभाग" शीर्षक के अंतर्गत और "आवास" के संबंध में ख.3.1 के उप-शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 3 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  
 "3. जनरल मेडिसिन, बालरोग, जनरल सर्जरी, अस्थि विकलांग-विज्ञान और प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान विभागों के लिए उचित ढंग से साज-सामान के साथ चार परीक्षा कक्ष और बाकी विभागों के लिए उचित ढंग से साज-सामान के साथ दो परीक्षा कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक विभाग में 15-20 छात्रों की क्षमता का एक प्रदर्शन कक्ष भी होगा।"
13. खंड ख.5 में, "केंद्रीय आक्रियिकता विभाग" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-  
 "ऑक्सीजन की आपूर्ति, बैंटिलेटर, डिब्रोफ्रीलेटर सहित पुनरुज्जीवन सेवाओं के लिए स्थान और साज-सामान से पूर्णतः लैस दो आपदा ट्रालियां (आपातकालिक ट्रालिया), आपातकालिक एक्स-रे, जांच सुविधाएं, शल्यक्रिया-शाला आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। वे साज-सामान से पूर्णतः लैस होंगी।
- मरीजों, उनके परिवारकों तथा विभाग के स्टाफ के लिए पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्थाएं (शौचालय और स्नानागार) और पेय जल सुविधाएं संबंधित ब्लॉकों में उपलब्ध कराई जाएंगी।"
14. खंड ख.10 में, "स्टाफ क्वार्टर्स" शीर्षक के अंतर्गत ख.10.1 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  
 "वरिष्ठ रेजिडेंटों और कनिष्ठ रेजिडेंटों के 100 प्रतिशत के लिए आवास होगा। सभी वरिष्ठ रेजिडेंटों और कनिष्ठ रेजिडेंटों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे उस परिसर, जहां अस्पताल स्थित है, में रेजिडेंट के होस्टल/क्वार्टरों में रहें।"
15. "छात्रों के लिए छात्रावास" शीर्षक के अंतर्गत खंड ख.12 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-  
 "कॉलेज/संस्था में, एक दिए गए समय पर छात्रों के कुल प्रदेश के कम से कम 60 प्रतिशत के लिए छात्रों के छात्रावास की व्यवस्था होगी। छात्रावास के प्रत्येक कमरे में तीन से अधिक अधिभोक्ता नहीं होंगे। कमरे का आकार 9 वर्ग मीटर/छात्र होगा। प्रत्येक छात्र को स्वतंत्र और अलग फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कुर्सी, मेज, पलंग और पूरे आकार का कपबोर्ड शामिल होगा। प्रत्येक छात्रावास में कप्यूटर और इंटरनेट सहित एक अध्ययन कक्ष और आगंतुक कक्ष होगा। ये दोनों कमरे वातानुकूलित होंगे। एक मनोरंजन कक्ष होगा, जिसमें टीवी, संगीत, अंतरंग खेल और भोजनालय की सुविधाएं होंगी।"

16. खंड ख.12 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

**ख.13** कॉलेज/संस्था में, मान्यता के मूल्यांकन के समय पर छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत के लिए इंटर्नों के होस्टल की व्यवस्था होगी। होस्टल के प्रत्येक कमरे में तीने से अधिक अधिभोक्ता नहीं होंगे। कमरे का आकार 9 वर्ग मीटर/छात्र होगा। प्रत्येक छात्र को स्वतंत्र और अलग फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कुर्सी, मेज, पलंग और पूरे आकार का कप बोर्ड शामिल होगा। प्रत्येक होस्टल में कायूटर और इंटरनेट सहित एक अध्ययन कक्ष और आगंतुक कक्ष होगा। ये दोनों कमरे वातानुकूलित होंगे। एक मनोरंजन कक्ष होगा, जिसमें टीवी, संगीत, अंतर्रंग खेल और भोजनालय की सुविधाएं होंगी।"

17. अनुसूची II में "स्टाफ संबंधी शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत, "सामान्य अभ्युक्ति" शीर्षक के अंतर्गत खंड 'क' में पॉइंट संख्या 5 की अंतिम चार पंक्तियां निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

"कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सांख्यिकीय व ट्यूटर के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी की शैक्षिक योग्यता होगी। ये शर्तें, अध्यापक पात्रता शैक्षिक योग्यता विनियमावली के अनुसार हैं।"

18. अनुसूची II में "स्टाफ संबंधी शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत, "औचित्य" में "सहायक सेवाओं के लिए स्टाफ संबंधी शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत खंड 'घ' में पॉइंट संख्या 1 और 2 का विलोप किया जाएगा।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 406 / 17]

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियमावली, नामत: "प्रति वर्ष 150 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1) / 1998—मेड.(ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 01 दिसंबर, 2008, 13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी, 2010, 30 जनवरी, 2010, 26 फरवरी, 2010, 17 सितंबर, 2010, 03 नवंबर, 2010, 18 मार्च, 2014 और 01 जुलाई, 2015, 27 जनवरी, 2017, 09 मार्च, 2017 और 23 अगस्त, 2017 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

केवल 150 दाखिलों (एमबीबीएस – स्नातक–पूर्व) के लिए शर्तें

क्रम सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
1	व्याख्यान थियेटर (कॉलेज का भवन)	क) संख्या	2	2	3	3	4
		ख) क्षमता	180	180	180	180	180
		ग) प्रकार	गैलरी	गैलरी	गैलरी	गैलरी	गैलरी
1	अस्पताल का भवन	क) संख्या	-	-	1	1	1
		ख) क्षमता	-	-	200	200	200
		ग) प्रकार	-	-	गैलरी	गैलरी	गैलरी
2	परीक्षा हाल	(क्षमता)	-	250	250	250	250
		संख्या	-	1	2	2	2
3	केंद्रीय पुस्तकालय (वातानुकूलित)	क) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	600	1200	1800	2400	2400
		ख) बैठने की क्षमता	75	150	225	300	300
		ग) पुस्तकें	3000	3000	4000	5000	7000
		घ) पत्रिकाएं (भारतीय + विदेशी)	14 + 06	14 + 06	28 + 12	28 + 12	42 + 18
4	छात्रावास	क) छात्र और छात्राओं की क्षमता, 60 प्रतिशत की दर से	90	180	270	360	450
		ख) रेजिडेंटों की क्षमता, 100 प्रतिशत की दर से	46	47	49	66	80
	(छात्रावास / क्वार्टर)	ग) इंटर्नों का होस्टल, 50 प्रतिशत की दर से	--	--	--	--	75
		घ) नर्सों का आवास, 20 प्रतिशत की दर से	35	35	35	45	75

5	आवासीय क्वार्टर	क) अध्यापन, 20 प्रतिशत की दर से ख) गैर-अध्यापन, 20 प्रतिशत की दर से	14 20	20 32	20 36	24 36	26 36	26 36
	बिस्तरों का वितरण							
6	मेडिसिन एवं संबद्ध	क) जनरल मेडिसिन	72/3	72/3	72/3	100/4	150/ 5	150/ 5
		ख) बाल रोग	24/2	24/2	24/2	45/2	90/3	90/3
		ग) तपेदिक एवं वक्ष	8/1	8/1	8/1	10/1	20/1	20/1
		घ) त्वचा रतिज रोग	8/1	8/1	8/1	10/1	15/1	15/1
		ङ) मनश्चिकित्सा	8/1	8/1	8/1	10/1	15 /1	15 /1
		जोड़	120/8	120/8	120/8	175/9	290/ 11	290/ 11
7	शल्यचिकित्सा एवं संबद्ध	क) जनरल सर्जरी	90/3	90/3	90/3	100/4	150/ 5	150/ 5
		ख) अस्थि विकलांग	30/2	30/2	30/2	45/2	90/3	90/3
		ग) नेत्ररोग—विज्ञान	10/1	10/1	10/1	15/1	15/1	15/1
		घ) कान—नाक—गला	10/1	10/1	10/1	15/1	15/1	15/1
		जोड़	140/7	140/7	140/7	175/8	270/ 10	270/ 10
8	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	क) प्रसूति एवं एण्णसी	25/1	25/1	25/1	30/1	60/2	60/2
		ख) स्त्रीरोग—विज्ञान	15/1	15/1	15/1	30/1	30/1	30/1
		जोड़	40/2	40/2	40/2	60/2	90/3	90/3
		सकल जोड़	300/17	300/17	300/17	410/19	650/ 24	650/ 24
9	बहिरंगरोगी विभाग		600	600	750	900	1200	1200
10	बिस्तरों की आक्युपेंसी का %		60%	60%	60%	75%	75%	75%
11	ओटी एवं आईसीयू	क) बड़ा ओटी	4	4	5	7	9	9
		ख) लघु ओटी	2	2	2	2	2	2
		ग) आईसीसीयू आईसीयू पीआईसीयू/ एनआईसीयू एसआईसीयू	5 बिस्तरे 5 बिस्तरे 5 बिस्तरे 5 बिस्तरे					
		घ) आकर्सिमक्ता बिस्तरे	10	10	15	20	25	25
		क) स्टैटिक इकाई – 300 mA – 600 mA – 800 mA + फ्लूरोस्कॉपी	1 1 --	1 1 --	1 1 1	1 1 1	2 2 2	2 2 2
12	विकिरण विज्ञान	ख) सचल इकाई – 60 mA – 100 mA	1 1	1 1	1 1	2 2	3 3	3 3
		ग) यूएसजी (रंगीन)	2	2	2	2	3	3
		घ) सीटी स्कैन – (न्यूनतम – 16 स्लाइस – स्पाइरल)	--	--	1	1	1	1
13	पैरा—मेडिकल एवं गैर—अध्यापन स्टाफ		100	100	100	162	182	182
14	नर्सिंग स्टाफ	क) नर्सिंग अधीक्षक ख) नर्सिंग उप-अधीक्षक ग) सहायक नर्सिंग उप-अधीक्षक घ) नर्सिंग सिस्टर ङ) स्टाफ नर्स	1 2 4 27 141	1 2 4 27 141	1 2 4 27 141	1 3 6 31 182	1 5 12 45 309	1 5 12 45 309
		जोड़	175	175	175	223	372	372

15	प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं (कॉलेज का भवन)	3 (225 वर्ग मीटर) 1 (90 वर्ग मीटर)	6 (225 वर्ग मीटर) 2 (90 वर्ग मीटर)	6 (225 वर्ग मीटर) 2 (90 वर्ग मीटर)	6 (225 वर्ग मीटर) 2 (90 वर्ग मीटर)	6 (225 वर्ग मीटर) 2 (90 वर्ग मीटर)
16	केंद्रीय प्रयोगशाला (अस्पताल)	1 उपलब्ध और कार्यात्मक	1 उपलब्ध और कार्यात्मक	1 उपलब्ध और कार्यात्मक	1 उपलब्ध और कार्यात्मक	1 उपलब्ध और कार्यात्मक
17	रक्त बैंक	प्रारंभ के चरण से ही एक लाइसेंसशुदा रक्त बैंक उपलब्ध और कार्यात्मक होगा।				
18	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में दूसरे बैच (पहले नवीकरण) से इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र कॉलेज के स्वामित्व वाला होना चाहिए या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे जुड़े ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय—उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटर्नों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। यह स्वास्थ्य केंद्र 30 किलोमीटर की दूरी के अंदर होगा, सिवाय यथासंघोषित 'मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999' में विनिर्दिष्ट शहरी समूहों के श्रेणी 'क' शहरों में, जहां यह 50 किलो मीटर के अंदर होना चाहिए। भोजनालय की सुविधाओं के साथ छात्रों छात्राओं और इंटर्नों के लिए अलग आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक प्रवेश के 10 प्रतिशत के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।				
19	शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में दूसरे बैच (पहले नवीकरण) से इससे संबद्ध एक शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र कॉलेज के स्वामित्व वाला होना चाहिए या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे जुड़े ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय—उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटर्नों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।				
20	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला / सेल	सभी अवसंरचना और स्टाफ के साथ दूसरे नवीकरण से एक केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला / सेल उपलब्ध और कार्यात्मक होगा।				

केवल 150 दाखिलों (एमबीबीएस – स्नातक–पूर्व) के लिए स्टाफ की संख्या

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
शरीररचना—विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	ट्यूटर	3	3	3	3	3	3
शरीरक्रिया—विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	ट्यूटर	3	3	3	3	3	3
जीवरसायन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	ट्यूटर	4	4	4	4	4	4
भेषज—विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	2	2	2	2	2
	ट्यूटर	1	3	3	3	3	3
रोग—विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	3	3	3	3	3

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
सूक्ष्मजीव-विज्ञान	सहायक प्रोफेसर	1	3	3	3	3	3
	दयूटर	1	5	5	5	5	5
	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	2	2	2	2	2
फोरेंसिक मेडिसिन	दयूटर	1	4	4	4	4	4
	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
कम्प्युनिटी मेडिसिन	दयूटर	1	1	1	1	3	3
	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	1	3	3	3	3	3
	मरक-विज्ञानविद व सहायक प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	सार्थिकीविद व दयूटर	0	1	1	1	1	1
जनरल मेडिसिन	दयूटर	1	1	4	4	4	4
	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	3	4	4
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	4	5	5
	वरिष्ठ रेजिडेंट	3	3	3	4	5	5
बाल रोग	कनिष्ठ रेजिडेंट	6	6	6	8	10	10
	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	2	2
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	2	3	3
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	2	3	3
तपेदिक एवं श्वसनी रोग	कनिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	4	6	6
	प्रोफेसर	0	0	0	0	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
त्वचारोग-विज्ञान, रतिजरोग-विज्ञान एवं कुष्ठ रोग	कनिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
मनश्चिकित्सा	कनिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
	कनिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
जनरल सर्जरी	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	3	4	4
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	4	5	5
	वरिष्ठ रेजिडेंट	3	3	3	4	5	5
	कनिष्ठ रेजिडेंट	6	6	8	10	10	
अस्थि विकलांग	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	2	2
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	2	3	3
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	2	3	3
	कनिष्ठ रेजिडेंट	2	2	4	6	6	
कान—नाक—गला विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	0	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
	कनिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	
नेत्ररोग—विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	0	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
	कनिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	
प्रसूति एवं स्त्रीरोग—विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	3	3	3
	वरिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	3	3	3
	कनिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	6	6	6
संचेतनाहर—विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	3	3
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	4	5	5
	वरिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	3	3	3
	कनिष्ठ रेजिडेंट	2	2	3	4	6	6
विकिरण निदान	प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	2	2	3	3	3	3
दंत्य चिकित्सा	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	कनिष्ठ रेजिडेंट	0	1	1	1	1	1

टिप्पणियां
कमी का हिसाब लगाने के उद्देश्य के लिए
(1) अध्यापन संकाय और रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी को अलग—अलग गिना जाएगा।
<b>(क) अध्यापन संकाय के लिए</b>
(क) संकाय की कमी का परिकलन करने के लिए संबंधित विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और ट्यूटर को एक साथ गिना जाएगा। (ख) उच्चतर काडर में कोई अधिक अध्यापन संकाय केवल उसी विभाग के निम्नतर कैडर की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता। (ग) किसी विभाग में निम्नतर काडर/ श्रेणी का कोई अधिक अध्यापन संकाय किसी विभाग या किसी अन्य विभाग के उच्चतर कैडर/ श्रेणी में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकती। (घ) किसी विभाग का अधिक/ अतिरिक्त अध्यापन संकाय किसी अन्य विभाग में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
<b>(ख) रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए</b>
(क) वरिष्ठ रेजिडेंट की अधिकता केवल उसी विभाग के कनिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति कर सकती है। (ख) किसी विभाग के अधिक वरिष्ठ रेजिडेंट/ कनिष्ठ रेजिडेंट किसी अन्य विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट/ कनिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता। (ग) कनिष्ठ रेजिडेंट की कोई अधिकता उसी या किसी अन्य विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकती। (घ) उसी या किसी अन्य विभाग का कोई अधिक/ अतिरिक्त अध्यापन संकाय वरिष्ठ रेजिडेंट/ कनिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता वरिष्ठ रेजिडेंट या कनिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
(2) दंत्य चिकित्सा/ दंत्य संकाय के किसी अलग विभाग की आवश्यकता नहीं है, जहां उसी परिसर/ शहर में कोई दंत्य कॉलेज उपलब्ध है और इसे उसी प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है।
(3) स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए स्नातकोत्तर विनियमावली, 2000 के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ, बिस्तरे और अन्य शर्तें आवश्यक हैं।

पदनाम	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
कुल संकाय	65	94	100	117	132	132
कुल रेजिडेंट	46	47	49	66	80	80

### MEDICAL COUNCIL OF INDIA

### AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2018

**No. MCI-34(41)/2017-Med./169890.**—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely:—

- (i) These Regulations may be called the “Minimum Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 2017”.  
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the “Minimum Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions/modifications/ deletions/substitutions, shall be, as indicated therein: -
- In the first page of “Minimum Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, point no. 3 shall be substituted as under:-

“Every medical college and Medical Institution for 150 M.B.B.S. admissions annually shall have the following departments, namely:-

- HUMAN ANATOMY
- HUMAN PHYSIOLOGY
- BIOCHEMISTRY

- 
4. PATHOLOGY (INCLUDING BLOOD BANK)
  5. MICROBIOLOGY
  6. PHARMACOLOGY
  7. FORENSIC MEDICINE INCLUDING TOXICOLOGY
  8. COMMUNITY MEDICINE
  9. MEDICINE
  10. PAEDIATRICS
  11. PSYCHIATRY
  12. DERMATOLOGY, VENEREALOGY AND LEPROSY
  13. TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES
  14. SURGERY
  15. ORTHOPAEDICS
  16. RADIO-DIAGNOSIS
  17. RADIOTHERAPY (OPTIONAL)
  18. OTO-RHINOLARYNGOLOGY
  19. OPHTHALMOLOGY
  20. OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
  21. ANAESTHESIOLOGY
  22. PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION(OPTIONAL)
  23. DENTISTRY

4. Clause A.1.21 under the heading “Rural Health Training Centre”, shall be substituted as under:-

*“Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it from 2<sup>nd</sup> batch(1<sup>st</sup> renewal) onwards. This Rural Health Training Center shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Center. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. This Health Center shall be within a distance of 30 kms. except in Urban agglomeration Class A cities specified in Establishment of Medical College Regulations, 1999 as amended where it should be within 50 kms. Separate residential arrangements for boys, girls and interns with mess facilities shall also be provided. Hostel accommodation shall be provided for 10% of annual intake. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.”*

5. Clause A.2(8)(H) under the heading “Primary Health Centre/Rural Health Training Centre” shall be substituted as under: -

*Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it from 2<sup>nd</sup> batch(1<sup>st</sup> renewal) onwards. This Rural Health Training Center shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Center. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. This Health Center shall be within a distance of 30 kms. except in Urban agglomeration Class A cities specified in Establishment of Medical College Regulations, 1999 as amended where it should be within 50 kms. Separate residential arrangements for boys, girls and interns with mess facilities shall also be provided. Hostel accommodation shall be provided for 10 % of annual intake. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.*

6. Clause A.2(8)(I) under the heading “Urban Health Training Centre” shall be substituted as under: -

*Every medical college shall have one Urban Health Training Center affiliated to it from 2<sup>nd</sup> batch(1<sup>st</sup> renewal) onwards. This Urban Health Training Center shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Center. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.*

7. In clause B. Teaching Hospital under the heading “B.1 General Remarks”, clause B.1.1. shall be substituted as under:
- A fully functional teaching hospital with 300 beds with all necessary infrastructure like OPD, Indoor wards, OT, ICU, Casualty, Labour Room, Laboratories, Blood Bank, CSSD, Kitchen etc. having minimum 60 % indoor bed occupancy shall be available at time of submission of application to the Central Government. This shall be increased to 650 beds in phasewise manner as prescribed. The indoor bed occupancy shall be increased to 75 % at time of assessment for III renewal of permission and thereafter and also at time of assessment for recognition. 300 teaching beds shall include 120 beds for Medicine and allied, 140 beds for Surgery and allied, 40 beds for Ob-Gy.*
8. In clause B. Teaching Hospital under the heading “B.1 General Remarks”, clause B.1.8 shall be substituted as under:-
- Indoor beds occupancy should increase to 75% at the time of IIIrd renewal of permission and thereafter till the time of recognition.*
9. In clause B.2 under the heading of “Clinical Departments”, and under the Sub-heading of B.2.2 regarding “additional accommodation” point no. 3. *Clinical Demonstration room (at least one for each department)* shall be deleted.
10. In clause B.2 under the heading of “Clinical Departments”, and under the Sub-heading of B.2.4 regarding “Operation Theatre Unit”, points no. 2 & 4 shall be substituted as under:-
- “2. Preoperative beds – 1 bed / O.T. Unit
4. Postoperative beds – 2 beds / O.T. Unit”
11. In clause B.2.8 under the heading “Department of Anaesthesiology” point no. 3, shall be substituted as under: -
3. *Clinical Demonstration Room: One.*
12. In clause B.3 under the heading “Clinical Departments” and under the Sub-heading of B.3.1 regarding “Accommodation” point no. 3, shall be substituted as under: -
3. *Four examination rooms, suitably equipped, shall be provided for departments of General Medicine, Paediatrics, General Surgery, Orthopaedics and Obstetrics & Gynaecology and two examination rooms, suitably equipped, shall be provided for the rest of the departments. Each department shall also have 1 Demonstration room of capacity 15-20 students.*
13. In clause B.5 under the heading “Central Casualty Department”, the following shall be added as under:-
- Accommodation for Resuscitation Services including Oxygen supply, ventilators, defibrillator and two fully equipped disaster trolleys (emergency trolleys), Emergency X-ray, investigative facilities, Operation theatre etc., shall be provided. These shall all be fully equipped.*
- Adequate sanitary arrangements (toilet and bathrooms) & drinking water facilities for patients, their attendants and the staff of the department shall be provided in the respective blocks.*
14. Clause B.10 under the heading “Staff Quarters” B.10.1, shall be substituted as under: -
- There shall be accommodation for 100 % of Senior Residents & Junior Residents. It shall be mandatory for all Senior & Junior Residents to stay in Residents’ Hostel / Quarters in the campus where hospital is located.*
15. In clause B.12 under the heading “Hostels for Students”, shall be substituted as under: -
- The college/institution shall have provision of student hostel for at least 60 % of total intake of students at a given time. Each hostel room shall not have more than three occupants. The size of room shall be 9 sq.m. / student. Each student shall be provided with an independent and separate furniture which shall include chair, table, bed and full size cupboard. Each hostel shall have a Visitors’ room and a Study room with Computer & Internet. Both these rooms shall be air-conditioned. There shall be recreational room having T.V., Music, Indoor games and messing facilities.*
16. After clause B.12, the following shall be added as under: -
- B.13.** *The college/institution shall have provision for Interns’ Hostel for at least 50 % of total intake of students at time of assessment for recognition. Each hostel room shall not have more than three occupants. The size of room shall be 9 sq.m./ intern. Each intern shall be provided with an independent and separate furniture which shall include chair, table, bed and full cupboard. Each hostel shall have a Visitors’ room and a Study room with Computer & Internet. Both these rooms shall be air-conditioned. There shall be recreational room having T.V., Music, Indoor games and messing facilities.*

17. In Schedule II under the heading “Staff Requirements” in clause A under the heading of “General Remarks”, last four lines of point no. 5 shall be substituted as under: -  
*In the department of Community Medicine, Statistician cum Tutor shall possess M.Sc. qualification from a recognized University. These requirements are as per the Teacher Eligibility Qualification Regulations.*
18. In Schedule II under the heading “Staff Requirements” in clause D under the heading of “Staff Requirement for Ancillary Services” in “Justification” point no. 1 & 2 shall be deleted.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT.-III/4/Exty./406/17]

**Foot Note :** The Principal Regulations namely, “Minimum Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No.35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20 October 2008, 1st December 2008, 13 November 2009, 18 January 2010, 30 January 2010, 26 February 2010, 17 September 2010, 3 November 2010, 18 March 2014, 1 July 2015, 27 January 2017, 9 March 2017 & 23 August 2017.

**Requirements for 150 admissions (M.B.B.S. - U.G.) only**

S.No	Infrastructural facilities		LOP (1 <sup>st</sup> Batch)	Ist Renewal (2 <sup>nd</sup> Batch)	IInd Renewal (3 <sup>rd</sup> Batch)	IIInd Renewal (4 <sup>th</sup> Batch)	IVth Renewal (5 <sup>th</sup> Batch)	Recognition
1	Lecture Theatre(College Building)	a) Number	2	2	3	3	4	4
		b) Capacity	180	180	180	180	180	180
		c) Type	Gallery	Gallery	Gallery	Gallery	Gallery	Gallery
	Hospital Building	a) Number	-	-	1	1	1	1
		b) Capacity	-	-	200	200	200	200
		c) Type	-	-	Gallery	Gallery	Gallery	Gallery
2	Examination Hall	Capacity	-	250	250	250	250	250
		Number	-	1	2	2	2	2
3	Central Library (Air Conditioned)	a) Area (sq. m)	600	1200	1800	2400	2400	2400
		b) Seating Capacity	75	150	225	300	300	300
		c) Books	3000	3000	4000	5000	7000	11000
		d) Journals (Indian + Foreign)	14 + 06	14 + 06	28 + 12	28 + 12	42 + 18	70 + 30
	Hostel	a) Boys/Girls Capacity @ 60%	90	180	270	360	450	450
		b) Residents Capacity @ 100%	46	47	49	66	80	80
4	(Hostel/Qtr)	c) Interns Hostel @ 50%	--	--	--	--	-	75
		d) Nurses accommodation @20%	35	35	35	45	75	75
5	Residential Quarters	a) Teaching @20%	14	20	20	24	26	26
		b) Non - Teaching @20%	20	32	36	36	36	36
	<b>Bed Distribution</b>							
6	Medicine & Allied	a) Gen. Medicine	72/3	72/3	72/3	100/4	150/ 5	150/ 5
		b) Paediatrics	24/2	24/2	24/2	45/2	90/3	90/3
		c) TB & Chest	8/1	8/1	8/1	10/1	20/1	20/1
		d) Skin V.D.	8/1	8/1	8/1	10/1	15/1	15/1
		e) Psychiatry	8/1	8/1	8/1	10/1	15 /1	15 /1
		Total	120/8	120/8	120/8	175/9	290/ 11	290/ 11
7	Surgery & Allied	a) Gen. Surgery	90/3	90/3	90/3	100/4	150/ 5	150/ 5
		b) Orthopedics	30/2	30/2	30/2	45/2	90/3	90/3
		c) Ophthalmology	10/1	10/1	10/1	15/1	15/1	15/1
		d) ENT	10/1	10/1	10/1	15/1	15/1	15/1
		Total	140/7	140/7	140/7	175/8	270/ 10	270/ 10
8	OBG	a) Obstetrics & ANC	25/1	25/1	25/1	30/1	60/2	60/2
		b) Gynecology	15/1	15/1	15/1	30/1	30/1	30/1
		Total	40/2	40/2	40/2	60/2	90/3	90/3
		Grand Total	300/17	300/17	300/17	410/19	650/ 24	650/ 24
9	OPD		600	600	750	900	1200	1200

10	Bed occupancy %	60%	60%	60%	75%	75%	75%
11	OT & ICU	a) Major OT	4	4	5	7	9
		b) Minor OT	2	2	2	2	2
		c) ICCU ICU PICU/NICU SICU	5 beds 5 beds 5 beds 5 beds				
		d) Casualty Beds	10	10	15	20	25
12	Radiology	a) Static unit - 300 mA - 600 mA - 800 mA	1 1 --	1 1 --	1 1 1	2 2 2 IITV + Fluoroscopy	2 2 2 IITV + Fluoroscopy
		b) Mobile unit - 60 mA - 100 mA	1 1	1 1	2 2	3 3	3 3
		c) USG (Color)	2	2	2	2	3
		d) CT Scan (Minimum - 16 Slice - Spiral)	--	--	1	1	1
13	Paramedical & Non Teaching staff	100	100	100	162	182	182
14	Nursing Staff	a) Nursing Supdt.	1	1	1	1	1
		b) Dy. Nursing Sudt.	2	2	2	3	5
		c) Asstt. Dy. Nursing Supdt.	4	4	4	6	12
		d) Nursing sister	27	27	27	31	45
		e) Staff Nurse	141	141	141	182	309
	Total	175	175	175	223	372	372
15	Practical Laboratories (College Building)	3 (225 sq. m) 1 (90 sq. m)	6 (225 sq. m) 2 (90 sq. m)	6 (225 sq. m) 2 (90 sq. m)	6 (225 sq. m) 2 (90 sq. m)	6 (225 sq. m) 2 (90 sq. m)	6 (225 sq. m) 2 (90 sq. m)
16	Central Laboratory [Hospital.]	1 Available & functional	1 Available & functional	1 Available & functional	1 Available & functional	1 Available & functional	1 Available & functional
17	Blood bank	There shall be a licensed blood bank available and functional right from inception stage.					
18	Rural Health Training Centre:	Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it from 2 <sup>nd</sup> batch (1 <sup>st</sup> Renewal) onwards. This Rural Health Training Center shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Center. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. This Health Center shall be within a distance of 30 kms. except in Urban agglomeration Class A cities specified in Establishment of Medical College Regulations, 1999 as amended where it should be within 50 kms. Separate residential arrangements for boys, girls and interns with mess facilities shall also be provided. Hostel accommodation shall be provided for 10 % of annual intake. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.					
19	Urban Health Training Centre	Every medical college shall have one Urban Health Training Center affiliated to it from 2 <sup>nd</sup> batch (1 <sup>st</sup> Renewal) onwards. This Urban Health Training Center shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Center. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.					
20	Central research Lab	A central research lab/cell shall be available and functional from 2 <sup>nd</sup> renewal onwards with all infrastructure and staff.					

## Staff requirement for 150 seats (M.B.B.S. - U.G.) only

Department	Designation	LOP	Ist Renewal	IIInd Renewal	IIIrd Renewal	IVth Renewal	Recognition
Anatomy	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Tutor	3	3	3	3	3	3
Physiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Tutor	3	3	3	3	3	3

Department	Designation	LOP	Ist Renewal	IIInd Renewal	IIIrd Renewal	IVth Renewal	Recognition
Biochemistry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Tutor	4	4	4	4	4	4
Pharmacology	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt. Prof.	0	2	2	2	2	2
	Tutor	1	3	3	3	3	3
Pathology	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	3	3	3	3	3
	Asstt. Prof.	1	3	3	3	3	3
	Tutor	1	5	5	5	5	5
Microbiology	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt. Prof.	0	2	2	2	2	2
	Tutor	1	4	4	4	4	4
Forensic Medicine	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	1	1	1	1	1
	Asstt. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Tutor	1	1	1	1	3	3
Community Medicine	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	2	2	2	2	2
	Asstt. Prof.	1	3	3	3	3	3
	Epidemio-Logist-Cum-Asstt. Prof.	0	1	1	1	1	1
	Statistician-Cum-Tutor	0	1	1	1	1	1
	Tutor	1	1	4	4	4	4
General Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	3	4	4
	Asstt. Prof.	3	3	3	4	5	5
	Sr. Resident	3	3	3	4	5	5
	Jr. Resident	6	6	6	8	10	10
Paediatrics	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	2	2
	Asstt. Prof.	1	1	1	2	3	3
	Sr. Resident	1	1	1	2	3	3
	Jr. Resident	2	2	2	4	6	6
Tuberculosis & Respiratory Diseases	Professor	0	0	0	0	1	1
	Assoc. Prof.	0	0	0	0	0	0
	Asstt. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
	Jr. Resident	1	1	1	1	1	1
Dermatology, Venereology & Leprosy	Professor	0	0	0	0	0	0
	Assoc. Prof.	0	0	0	1	1	1
	Asstt. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
	Jr. Resident	1	1	1	1	1	1
Psychiatry	Professor	0	0	0	0	0	0
	Assoc. Prof.	0	0	0	1	1	1
	Asstt. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
	Jr. Resident	1	1	1	1	1	1
General Surgery	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	3	4	4

Department	Designation	LOP	Ist Renewal	IIInd Renewal	IIIrd Renewal	IVth Renewal	Recognition
	Asstt. Prof.	3	3	3	4	5	5
	Sr. Resident	3	3	3	4	5	5
	Jr. Resident	6	6	6	8	10	10
Orthopaedics	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	2	2
	Asstt. Prof.	1	1	1	2	3	3
	Sr. Resident	1	1	1	2	3	3
	Jr. Resident	2	2	2	4	6	6
Oto-Rhino-Laryngology	Professor	0	0	0	0	1	1
	Assoc. Prof.	0	0	0	1	1	1
	Asstt. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
	Jr. Resident	1	1	1	1	1	1
Ophthalmology	Professor	0	0	0	0	1	1
	Assoc. Prof.	0	0	0	1	1	1
	Asstt. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
	Jr. Resident	1	1	1	1	1	1
Obstetrics & Gynaecology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	2	2	2
	Asstt. Prof.	2	2	2	3	3	3
	Sr. Resident	2	2	2	3	3	3
	Jr. Resident	4	4	4	6	6	6
Anaesthesiology	Professor	0	0	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	3	3
	Asstt. Prof.	2	2	2	4	5	5
	Sr. Resident	2	2	2	3	3	3
	Jr. Resident	2	2	3	4	6	6
Radio-Diagnosis	Professor	0	0	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	2	2	3	3	3	3
Dentistry	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	0	1	1	1	1
	Asstt. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Jr. Resident	0	1	1	1	1	1

**Notes:****For purpose of working out the deficiency:**

(1) The deficiency of teaching faculty and Resident Doctors shall be counted separately.

**(A) For Teaching Faculty:**

- (a) For calculating the deficiency of faculty, Prof., Assoc Prof., Asst. Prof & Tutor in respective departments shall be counted together.
- (b) Any excess teaching faculty in higher cadre can compensate the deficiency of lower cadre of the same department only.
- (c) Any excess teaching faculty of lower cadre/ category in any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in the higher cadre/category of the same department or any other department. e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Associate Professor or Professor.
- (d) Excess/Extra teaching faculty of any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in any other department.

**(B) For Resident Doctors:**

- (a) Excess of SR can be compensated to the deficiency of JR of the same department only.
- (b) Excess SR/JR of any department cannot compensate the deficiency of SR/JR in any other department.
- (c) Any excess of JR cannot compensate the deficiency of SR in same or any other department.
- (d) Any excess/ extra teaching faculty of same or any other department cannot compensate the deficiency of SR/JR. e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of SR or JR.

(2) A separate department of Dentistry/Dental faculty is not required where a dental college is available in same campus/city and run by the same management.
(3) Colleges running PG program require additional staff, beds & other requirements as per the PG Regulations – 2000.

Designation	LOP (1 <sup>st</sup> Batch)	Ist Renewal (2 <sup>nd</sup> Batch)	IIInd Renewal (3 <sup>rd</sup> Batch)	IIIInd Renewal (4 <sup>th</sup> Batch)	IVInd Renewal (5 <sup>th</sup> Batch)	Recognition
<b>Faculty Total</b>	65	94	100	117	132	132
<b>Resident Total</b>	46	47	49	66	80	80